राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2022-23 पर प्रेस ब्रीफ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मंडल में रखने के लिए राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करते है। तदनुसार, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-राजस्थान सरकार विधान मंडल में दिनांक 24.07.2024 को रखा जा चुका है। प्रक्रियानुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल की जन लेखा समिति को सौंपा गया मान लिया जाता है।

राज्य सरकार की उपलब्धियाँ

- वर्ष 2022-23 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (31.01 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.00 प्रतिशत) के भीतर रहा।
- राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक़) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दर्शाये गये हैं:

राजकोषीय स्थिति

- राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटा/अधिशेष, राजकोषीय घाटा/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है।
- राज्य सरकार राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत की सीमा के भीतर नहीं रख सकी, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम में निर्धारित है और 2022-23 के अंत में, राजकोषीय घाटा ₹ 51,028 करोड़ (जीएसडीपी का 3.61 प्रतिशत) था,यद्यपि यह केंद्र सरकार द्वारा अनुमत समग्र राजकोषीय दायरे के भीतर था।
- एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। राज्य सरकार लगातार दसवें वर्ष शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही।
- 2022-23 के दौरान बकाया देयता-जीएसडीपी अनुपात 34.92 प्रतिशत था जो एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा (38.20 प्रतिशत) के भीतर था।

राज्य का वित्त

- राजस्व परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 7.96 प्रतिशत (₹ 16,689 करोड़) की वृद्धि हुई तथा राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 6.02 प्रतिशत (₹ 11,068 करोड़) की वृद्धि हुई।
- पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में 18.03 प्रतिशत (₹ 4,354 करोड़) की कमी हुई।

- मार्च 2023 के अंत में, नकद शेष केवल ₹ 32.65 करोड़ था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 273 दिनों के लिए मार्गोपाय अग्रिम का लाभ उठाया और ₹113 करोड़ रुपये का ब्याज अदा किया।

बजटीय प्रबंधन

- राज्य सरकार के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे। वर्ष के दौरान, दत्तमत अनुभाग में ₹ 44,021.20 करोड़ की बचत और प्रभारित अनुभाग में ₹ 20,762.84 करोड़ का आधिक्य हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23,258.36 करोड़ की सम्पूर्ण बचत हुई। इसके अलावा, ₹ 52,734.39 करोड़ के पूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए।
- 2022-23 के दौरान राज्य की समेकित निधि से दो अनुदानों (सार्वजनिक ऋण और 21-सड़कों और पुलों) के तहत प्रावधान से अधिक राशि ₹ 21,069.61 करोड़ अधिकृत हुए तथा संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत इसके नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- इस संबंध में जन लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान 12 अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों (₹100 करोड़ से अधिक की बचत) के मामले देखे गए।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

- 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों ने 2010-11 से 2021-22 की अवधि से संबंधित कुल ₹1,107.25 करोड़ के 895 उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक़) को प्रस्तुत नहीं किए। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का निहित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करना न सिर्फ वित्तीय जवाबदेयता तंत्र की कमजोरी को बल्कि, विभागीय अधिकारियों के नियमों की पालना में विफलता को भी इंगित करता है ।
- दो वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद 133 पीडी खातों को बंद न करना जीएफ एंड एआर और राजस्थान कोषालय नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन था, जो कोषालय के स्तर पर निगरानी की कमी को दर्शाता है।
- राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों में ₹126.01 करोड़ की राशि के दुरुपयोग,गबन और सरकारी धन की चोरी/हानि के 732 मामले दर्ज किए, जिन पर 30 जून 2022 तक अंतिम कार्रवाई लंबित थी।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

- राजस्थान की जीएसडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का योगदान 2020-21 के 8.53 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 7.32 प्रतिशत रह गया।
- 47 संवाधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों में से 27 पीएसयू ने लाभ (₹ 1,248.15 करोड़) अर्जित किया,17 पीएसयू ने हानि (₹ 18,813.91 करोड़) दर्ज की । 31 मार्च 2023 तक 24 पीएसयू में ₹1,25,779.46 करोड़ की संचित हानि थी।
- संचित घाटे में चल रहे 24 सार्वजनिक उपक्रमों में से 19 की शुद्ध संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी।
- दो सांविधिक निगम सहित 30 पीएसयू के 62 लेखे बकाया थे।

प्रधान महालेखाकार